

गोकुलवर्ग बनाम राज सरकार

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	पृ नं 11/3/2025
08/11/2025	<p>पत्रावली वेस हुई। कमील प्रार्थनाग उपर करेका सरकार उपर इस कानून आदेशिका पर स्ना कर भि प्रार्थनाग कमील एवं परोकर सरकार द्वारा प्राप्ता मून पर कस की गयी। कस पर मन किया पत्रावली का अन्वेषण किया गया। अतः कस उभयपक्ष पर मन करने एवं पत्रावली के अन्वेषण के आधार पर प्रार्थनाग प्राप्ता अंतर्गत धारा 128 राज. ले. 5 रे. क्यू एकर स्वीकार किया जाता है। निरस्त निर्णय पृथक् से टंकित हुआ जाऊ शक्ति पत्रावली किया गया। पत्रावली कुल नुमर होकर कानून कमील दफ्तर है।</p>	<p>8/11/26 8/11/26 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई</p>

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487

E-Mail:-sdo-ban-dau-ri@nic.in

प्रकरण संख्या :-119/2025

प्रकरण दायर दिनांक:- 08.08.2025


प्रकरण निर्णय दिनांक:-08.01.2026

उनवान

1. गोकुल पुत्र श्रीकिशन
2. रत्तीराम पुत्र भौरया
3. रामेश्वर पुत्र रणजीता
4. रामस्वरूप पुत्र भौरया
5. लल्लू पुत्र भौरया
6. शिवलाल पुत्र भौरया
7. संतो देवी पत्नि सुबुद्धी
8. समोत्रा देवी पत्नि रामअवतार
9. सुरज्ञान पुत्र भौरया
10. हंसा पुत्र भौरया
11. कालूसिंह पुत्र रामचन्द्र
12. खेलन्ता पुत्री गोविन्दा
13. गंगा पत्नि गोविन्दा
14. गंगाबिशन पुत्र मूल्या
15. गुड्डी पुत्री गोविन्दा
16. बच्चू पुत्र मनफूल
17. बन्तो पत्नि स्व. रामचन्द्र
18. भोलू सिंह पुत्र रामचन्द्र
19. रामू पुत्री गोविन्दा
20. रामखिलारी पुत्र मूल्या
21. रामावतार पुत्र रामफूल
22. लाली पुत्री गोविन्दा
23. विश्राम पुत्र रामचन्द्र
24. सुबुद्धी पुत्र रामफूल
25. सुरज्या पुत्र मनफूल
26. सविता पुत्री रामचन्द्र
27. सीमा पुत्री रामचन्द्र
28. हीरालाल पुत्र मूल्या

समस्त जाति गुर्जर निवासी झुपडीन तहसील बांदीकुई जिला दौसा

प्रार्थीगण


उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)




बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बाँदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

प्रार्थीगण द्वारा विरुद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट जर्जे वकील श्री अमरसिंह गुर्जर के इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 83 पुराना 83 के आराजी खसरा नं. 1422/558, 1426/559, 387, 390, 392, 393, 396, 397, 398, 405, 406 लगायत 412 कुल किता 17 कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 97 पुराना 95 के आराजी खसरा संख्या 386, 391, 399 लगायत 404, 413, 414, 575, 576, 578 लगायत 584 कुल किता 19 कुल रकबा 4.02 हैक्टेयर जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 386, 387, 390, 391, 393, 396, 397 लगायत 412, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 583, 584 की पत्थरगढी नहीं होने के कारण काश्त के समय सीमाओं को लेकर विवाद होने की संभावना बनी रहती है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में स्थायी सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण कृषि भूमि की स्थायी सुरक्षा दीवार भी नहीं कर पा रहे है। जिसके कारण आवारा जानवर प्रार्थी की फसल को नष्ट कर देते है, जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान उठाना पडता है। इस कारण प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 386, 387, 390, 391, 393, 396, 397 लगायत 412, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 583, 584 की पत्थरगढी करवाया जाना कानूनन एवं इंसाफन न्यायोचित है। इस कारण श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि की सीमाज्ञान करवाने के लिए अप्रार्थी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर तहसीलदार के आदेशानुसार दिनांक 12.06.2025 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कृषि भूमि का सीमाज्ञान किया जा चुका है। जिसकी प्रति संलग्न है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा सं. 386, 387, 390, 391, 393, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 583, 584 की पत्थरगढी करवाया जाना कानूनन इंसाफन जरूरी है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार ग्राम झूपडीन में स्थित है, इस कारण प्रार्थना पत्र पत्थरगढी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतएव प्रार्थना पत्र पत्थरगढी मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 386, 387, 390, 391, 393, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 583, 584 वाके ग्राम झूपडीन पटवार हल्का बासडा तहसील बाँदीकुई की पत्थरगढी सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2025 के



उप खण्ड अधिकारी
बाँदीकुई (दौसा)

अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे तथा अप्रार्थी को इस आशय की तहरीर जारी की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जयें नोटिस विधिवत की गयी। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बांदीकुई उपस्थित। प्रकरण में बहस प्रार्थीगण वकील एवं पैरोकार सरकार सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2074-77 ग्राम झूपडीन खाता सं. नया 97 पुराना 95 कुल किता 19 कुल रकबा 4.02 हैक्टे., एवं खाता संख्या नया 83 पुराना 83 कुल किता 17 कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर, सीमाज्ञान मौका पर्चा वाके ग्राम झूपडीन दिनांक: 12.06.2025 का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2074-77 ग्राम झूपडीन खाता सं. नया 97 पुराना 95 एवं खाता संख्या नया 83 पुराना 83 के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। सीमाज्ञान पर्चा मौका वाके ग्राम झूपडीन दिनांक: 12.06.2025 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल.आर.एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, सीमाज्ञान पर्चा मौका वाके ग्राम झूपडीन दिनांक: 12.06.2025 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड भूमि काश्त खाता सं. नया 97 पुराना 95 खसरा नंबर 386, 391, 399, 400 लगायत 404, 413, 414, 575, 576, 578, 579, 580 लगायत 584 कुल किता 19 कुल रकबा 4.02 वाके ग्राम झूपडीन तहसील बांदीकुई एवं खाता संख्या नया 83 पुराना 83 खसरा नंबर 1422/558, 1426/559, 387, 390, 392, 393, 396, 397, 398, 405, 406 लगायत 412 कुल खसरा 17 कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर की मुताबिक सीमाज्ञान पर्चा मौका वाके ग्राम झूपडीन दिनांक: 12.06.2025 के विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बांदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बांदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।


उप (ग्रामसिंहाधिकारी)
बांदीकुई (दोआ) ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई